# प्रारंभिक परीक्षा

## धबलेश्वर मंदिर

### संदर्भ

भारत की राष्ट्रपति ने हाल ही में अपनी ओडिशा यात्रा के दौरान धबलेश्वर मंदिर में पूजा-अर्चना की।

### धबलेश्वर मंदिर के बारे में

- **प्रकृति:** धबलेश्वर मंदिर भगवान शिव को समर्पित एक प्राचीन हिंदू मंदिर है।
- **अवस्थिति:** यह ओडिशा के कटक के पास महानदी में एक द्वीप पर स्थित है।
- **इतिहास:** यह मंदिर 10वीं-11वीं शताब्दी ईस्वी का है, जिसकी मूल संरचना का श्रेय राजा ययाति केशरी के अधीन सोमवंशी राजवंश को दिया जाता है; वर्तमान संरचना का पुनर्निर्माण बाद में खुर्दा के राजा बीर किशोर द्वारा लगभग 1232 ईस्वी में किया गया था।
- **वास्तुकला:** कलिंग शैली में निर्मित, यह मंदिर मुख्य रूप से बलुआ पत्थर (सैंडस्टोन) से बना है और इसमें एक पिरामिडनुमा अधिरचना (सुपरस्ट्रक्चर) के साथ एक वर्गाकार गर्भगृह (sanctum) है।
- **मंदिर परिसर:** इस परिसर में छोटे मंदिर, जानवरों, पक्षियों और पौराणिक आकृतियों की जटिल नक्काशी से सजा हुआ एक जगमोहन (सभा कक्ष), और देवताओं की मूर्तियों से सजी दीवारें शामिल हैं।
- **विशिष्ट विशेषता:** यह मंदिर अपनी दो-स्तरीय टेराकोटा-टाइल वाली छत और मुख्य मंदिर के चारों ओर संगमरमर से बने ऊंचे चबूतरे के लिए जाना जाता है।

## हिमालयन सीरो (HIMALAYAN SEROW)

### संदर्भ

हिमालयन सीरो को हाल ही में लगभग 20 वर्षों में पहली बार हिमाचल प्रदेश के डलहौजी वन प्रभाग में देखा गया है।

### हिमालयन सीरो के बारे में

- **प्रकृति:** हिमालयन सीरो एक शर्मीला, जंगल में रहने वाला पहाड़ी अनगुलेट (खुरदार जानवर) है, जिसे अक्सर बकरी, गधे, गाय और सुअर के संकर (cross) के रूप में वर्णित किया जाता है।
- **वितरण:** यह पूर्वी, मध्य और पश्चिमी हिमालय में, आमतौर पर 2,000-4,000 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है, लेकिन ट्रांस-हिमालयी क्षेत्र में अनुपस्थित है।
- **आवास:** यह खड़ी, ऊबड़-खाबड़ जंगली ढलानों में निवास करता है और इसे मुख्यभूमि सीरो (Mainland Serow - Capricornis sumatraensis) की एक उप-प्रजाति के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- **आहार:** यह एक शाकाहारी जीव है, जो मुख्य रूप से घास, पत्तियां, टहनियां और झाड़ियां खाता है।

- **संरक्षण स्थिति:** इसे IUCN की रेड लिस्ट में निकट-संकटापन्न (Near Threatened) के रूप में सूचीबद्ध किया गया है, CITES के परिशिष्ट I में शामिल किया गया है, और वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची I के तहत संरक्षित किया गया है।

## अड्यार नदी

### संदर्भ

तमिलनाडु सरकार ने हाल ही में नदी के स्वास्थ्य और स्थानीय नागरिक बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए अड्यार नदी के किनारे बहाली और सफाई कार्यों की समीक्षा की।

### अड्यार नदी के बारे में

- **प्रकृति:** अड्यार नदी तमिलनाडु के चेन्नई से होकर बहने वाली तीन प्रमुख नदियों में से एक है।
- **उद्गम और मुहाना:** यह कांचीपुरम जिले में चेम्बरमबक्कम झील के पास से निकलती है और अड्यार मुहाने (Estuary) के माध्यम से बंगाल की खाड़ी में गिरती है।
- **मुहाना और क्रीक:** अपने मुहाने के पास, यह अड्यार क्रीक (सैंडबार के निर्माण से बना एक ज्वारीय बैकवाटर) और पारिस्थितिक रूप से समृद्ध अड्यार मुहाने का निर्माण करती है।

## एमियोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस (ALS)

### संदर्भ

हाल ही में एक वैश्विक समीक्षा में पाया गया है कि कीटनाशकों के व्यावसायिक संपर्क (occupational exposure) से एमियोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस (ALS) विकसित होने का जोखिम काफी बढ़ सकता है।

### एमियोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस (ALS) के बारे में

- **प्रकृति:** एक प्रगतिशील न्यूरोडीजेनेरेटिव विकार (progressive neurodegenerative disorder) जो ऊपरी और निचले मोटर न्यूरॉन्स को नुकसान पहुंचाता है, जिससे प्रगतिशील मांसपेशियों की कमजोरी और पक्षाघात (paralysis) होता है; इसे लो गेहरिग रोग (Lou Gehrig's disease) के नाम से भी जाना जाता है।
- **कारण:** काफी हद तक अज्ञात; अधिकांश मामले छिटपुट (sporadic) होते हैं, जबकि एक छोटा अनुपात वंशानुगत (inherited) होता है।
- **लक्षण:** मांसपेशियों में मरोड़ (twitching), अंगों में कमजोरी, अस्पष्ट वाणी, और निगलने में कठिनाई, जो धीरे-धीरे गति, बोलने, खाने और सांस लेने में अक्षमता तक बढ़ जाती है।
- **उपचार:** मोटर न्यूरॉन क्षति का कोई इलाज या वापसी (reversal) संभव नहीं है; थैरेपी इसकी प्रगति को धीमा कर सकती हैं, जीवन की गुणवत्ता में सुधार कर सकती हैं और जीवनकाल बढ़ा सकती हैं।

## मुल्लापेरियार बांध

### संदर्भ

केरल सरकार ने हाल ही में मुल्लापेरियार बांध का जल स्तर बढ़ाने के तमिलनाडु के प्रस्ताव का विरोध किया है, जिससे बांध की सुरक्षा और संचालन को लेकर लंबे समय से चला आ रहा अंतर-राज्यीय विवाद फिर से जीवित हो गया है।

### मुल्लापेरियार बांध के बारे में

- **प्रकृति:** मुल्लापेरियार बांध मुल्लायार और पेरियार नदियों के संगम पर पेरियार नदी पर बनाया गया एक चिनाई वाला गुरुत्वाकर्षण बांध (masonry gravity dam) है।
- **अवस्थिति:** यह पश्चिमी घाट की इलायची पहाड़ियों (Cardamom Hills) में लगभग 881 मीटर की ऊंचाई पर, केरल के इडुक्की जिले के थेक्कडी में स्थित है।
- **उद्देश्य:** यह बांध पेरियार नदी बेसिन से पानी को तमिलनाडु में वैगई नदी बेसिन की ओर मोड़ता है, जिससे थेनी, मदुरै, शिवगंगा और रामनाथपुरम जिलों को लाभ होता है।
- **संरचना:** चूना पत्थर और सुर्खी मोर्टार (surkhi mortar) का उपयोग करके बनाया गया है।
- **प्रशासन:** हालांकि यह केरल में स्थित है, लेकिन ब्रिटिश काल के दौरान हस्ताक्षरित 999 साल के पट्टा समझौते (lease agreement) के तहत तमिलनाडु द्वारा इसका संचालन और रखरखाव किया जाता है; यह पेरियार राष्ट्रीय उद्यान से घिरा हुआ है।

## गोबरधन (GOBARDHAN) योजना

### संदर्भ

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में कंप्रेस्ड बायोगैस (CBG) उत्पादन को बढ़ावा देने और भारत की चक्रीय जैव-अर्थव्यवस्था (circular bioeconomy) को सुदृढ़ करने के लिए गोबरधन (गैल्वनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो-एग्रो रिसोर्सेज धन) योजना को मंजूरी दी है।

### गोबरधन योजना के बारे में

- **प्रकृति:** गोबरधन एक राष्ट्रीय चक्रीय जैव-ऊर्जा योजना (National Circular Bioenergy Scheme) है जिसका उद्देश्य जैविक कचरे को कंप्रेस्ड बायोगैस (CBG) और अन्य मूल्यवर्धित उत्पादों में बदलना है।
- **नोडल मंत्रालय:** इसे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (MoPNG) द्वारा कार्यान्वित किया जाता है।
- **उद्देश्य:** घरेलू CBG उत्पादन का विस्तार करना, अपशिष्ट-से-ऊर्जा (waste-to-energy) बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देना, निजी निवेश आकर्षित करना, और वित्त वर्ष 2026-27 से 2035-36 तक भारत के ऊर्जा मिश्रण के एक प्रमुख घटक के रूप में CBG को स्थापित करना।
- **CBG प्रोत्साहन:** यह सुनिश्चित उठान (assured offtake) के लिए एक प्रशासित मूल्य निर्धारण ढांचे द्वारा समर्थित सिटी गैस वितरण (CGD) संस्थाओं के लिए CBG सम्मिश्रण दायित्वों (blending obligations) को अनिवार्य बनाता है।

- **वित्तीय और अवसंरचना समर्थन:** पूंजीगत सहायता, ऋण गारंटी समर्थन प्रदान करता है, और CBG संयंत्रों को ट्रंक पाइपलाइनों और CGD नेटवर्क से जोड़ने वाली पाइपलाइन कनेक्टिविटी को बढ़ावा देता है।

## अग्नि-4 मिसाइल

### संदर्भ

भारत की स्वदेशी रूप से विकसित मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-4 का हाल ही में एकीकृत परीक्षण रेंज (ITR), चांदीपुर, ओडिशा से सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया।

### अग्नि-4 मिसाइल के बारे में

- **प्रकृति:** अग्नि-4 एक स्वदेशी रूप से विकसित मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल (MRBM) है जो भारत के रणनीतिक मिसाइल शस्त्रागार का हिस्सा है।
- **विकासकर्ता:** इसे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) द्वारा विकसित किया गया है और सामरिक बल कमान (SFC) द्वारा संचालित किया जाता है।
- **भूमिका:** इसे रणनीतिक पेलोड ले जाने और भारत की विश्वसनीय न्यूनतम निवारक क्षमता (credible minimum deterrence capability) को सुदृढ़ करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- **मारक क्षमता और प्रणोदन:** यह ठोस-ईंधन रॉकेट मोटर द्वारा संचालित एक दो-चरणीय, सतह-से-सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसकी मारक क्षमता 4,000 किमी तक है।
- **प्रक्षेपण और पेलोड:** यह मिसाइल सड़क-मोबाइल लॉन्चर से लॉन्च की जाती है और 1,000 किलोग्राम तक का पेलोड ले जा सकती है।
- **मार्गदर्शन प्रणाली:** यह रिंग लेजर गायरोस्कोप-आधारित इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम (RINS) और माइक्रो नेविगेशन सिस्टम (MINGS) से लैस है, इसका सर्कुलर एरर प्रोबेबल (CEP) 100 मीटर से कम है, जो उच्च लक्ष्य सटीकता सुनिश्चित करता है।

## पाकल दुल जलविद्युत परियोजना

### संदर्भ

जम्मू और कश्मीर के किश्तवाड़ में पाकल दुल जलविद्युत परियोजना के श्रमिकों से जुड़े एक हालिया औद्योगिक विवाद को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझा लिया गया।

### पाकल दुल जलविद्युत परियोजना के बारे में

- **प्रकृति:** पाकल दुल जम्मू और कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में निर्माणाधीन एक 1,000 मेगावाट की रन-ऑफ-द-रिवर जलविद्युत परियोजना है।

- **अवस्थिति:** यह परियोजना चिनाब नदी की एक प्रमुख सहायक नदी, मरुसुदर नदी (Marusudar River) पर विकसित की जा रही है।

## NBFC-अपर लेयर (NBFC-UL)

### संदर्भ

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 2026-27 के लिए टाटा संस लिमिटेड (Tata Sons Ltd.) को एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी-अपर लेयर (NBFC-UL) के रूप में वर्गीकृत किया है, जबकि NBFC के अपंजीकरण (de-registration) के लिए इसका आवेदन अभी विचाराधीन है।

### NBFC-अपर लेयर (NBFC-UL) के बारे में

- **प्रकृति:** NBFC-अपर लेयर (NBFC-UL) में बड़ी, प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (NBFCs) शामिल हैं, जो RBI के स्केल बेस्ड रेगुलेशन (SBR) ढांचे के तहत उन्नत विवेकपूर्ण (prudential) और शासन नियमों के अधीन हैं।
- **वर्गीकरण:** ₹1 लाख करोड़ या उससे अधिक की संपत्ति वाली स्टैंडअलोन NBFC 'अपर लेयर' के लिए अर्हता प्राप्त करती हैं; एक बार वर्गीकृत होने के बाद, वे न्यूनतम पांच वर्षों के लिए इस श्रेणी में रहती हैं।
- **उद्देश्य:** प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण NBFCs के नियमन को मजबूत करना और भारत की वित्तीय प्रणाली की स्थिरता को सुरक्षित रखना।
- **उन्नत विनियामक मानदंड:** NBFC-UL संस्थाओं को उच्च पूंजी पर्याप्तता (capital adequacy) आवश्यकताओं, कॉमन इक्विटी टियर-1 (CET-1) मानदंडों, मजबूत कॉर्पोरेट प्रशासन मानकों, उच्च प्रावधान (provisioning) और उन्नत प्रकटीकरण (disclosure) आवश्यकताओं का अनुपालन करना चाहिए।
- **अनिवार्य सूचीबद्धता (Listing):** पारदर्शिता और बाजार अनुशासन में सुधार के लिए निजी NBFC-ULs को आम तौर पर वर्गीकरण के तीन वर्षों के भीतर स्टॉक एक्सचेंजों पर अपने शेयरों को सूचीबद्ध करना आवश्यक होता है।
- **स्केल बेस्ड रेगुलेशन (SBR):** RBI, NBFCs को उनके आकार, जटिलता और प्रणालीगत महत्व के आधार पर बेस लेयर (BL), मिडिल लेयर (ML), अपर लेयर (UL) और टॉप लेयर (TL) में वर्गीकृत करता है।

## अनुसंधान, विकास और नवाचार (RDI) कोष

### संदर्भ

हाल ही में एक जांच ने ₹1 लाख करोड़ के अनुसंधान, विकास और नवाचार (RDI) कोष के तहत चयन प्रक्रिया पर चिंताएं पैदा की हैं, क्योंकि कई वित्त पोषित कंपनियों का चयन समितियों के सदस्यों के साथ निवेश संबंध पाया गया।

### अनुसंधान, विकास और नवाचार (RDI) कोष के बारे में

- **प्रकृति:** RDI कोष भारत सरकार की एक पहल है जो डीप-टेक (deep-tech) अनुसंधान, नवाचार और व्यावसायीकरण को बढ़ावा देने के लिए दीर्घकालिक, कम लागत वाला वित्तपोषण प्रदान करता है।

- **प्रशासक:** यह कोष अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन (ANRF) के अंतर्गत रखा गया है, जिसका कार्यान्वयन प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड (TDB) और जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद (BIRAC) जैसे नामित द्वितीय-स्तरीय फंड प्रबंधकों (SLFMs) के माध्यम से किया जाता है।
- **उद्देश्य:** भारत के डीप-टेक पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना, आयातित महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों पर निर्भरता कम करना और स्वदेशी नवाचारों के व्यावसायीकरण में तेजी लाना।
- **वित्तीय सहायता:** परियोजना लागत के 50% तक को कवर करने वाले संपार्श्विक-मुक्त (collateral-free) सुलभ ऋण (soft loans) प्रदान करता है, जिसमें कम ब्याज दर (लगभग 2-4%) और 15 वर्ष तक की चुकौती अवधि होती है।
- **प्राथमिकता वाले क्षेत्र:** कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), क्वांटम प्रौद्योगिकियों, सेमीकंडक्टर्स, रक्षा, अंतरिक्ष, रोबोटिक्स, स्वच्छ ऊर्जा और डिजिटल हेल्थकेयर में नवाचारों का समर्थन करता है।
- **पात्रता और चयन:** प्रौद्योगिकी तत्परता स्तर (TRL)-4 या उससे ऊपर की प्रौद्योगिकियों वाली पात्र प्रौद्योगिकी संस्थाओं (ETE) के लिए धन उपलब्ध है, और प्रस्तावों का मूल्यांकन वैज्ञानिक योग्यता, तकनीकी व्यवहार्यता, वित्तीय व्यवहार्यता और वाणिज्यिक क्षमता के आधार पर किया जाता है।

## सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक

### संदर्भ

केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री ने हाल ही में जीवन रक्षक बचाव अभियान में उनकी असाधारण भूमिका के लिए 12 रैट-होल (rat-hole) खनिकों को सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक से सम्मानित किया।

### सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक के बारे में

- **प्रकृति:** सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक, जीवन रक्षा पदक शृंखला में सर्वोच्च नागरिक जीवन रक्षक पुरस्कार है, जो अत्यधिक व्यक्तिगत जोखिम की स्थितियों में मानव जीवन बचाने में असाधारण साहस के कार्यों के लिए प्रदान किया जाता है।
- **प्रशासक:** इसका प्रशासन गृह मंत्रालय (MHA) द्वारा किया जाता है।
- **इतिहास:** 1961 में स्थापित, यह पुरस्कार तीन-स्तरीय जीवन रक्षा पदक शृंखला का हिस्सा है जिसमें सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक, उत्तम जीवन रक्षा पदक और जीवन रक्षा पदक शामिल हैं।
- **पात्रता:** सशस्त्र बलों, CAPF और पुलिस के सदस्यों सहित सभी नागरिकों के लिए खुला है, बशर्ते बहादुरी का कार्य कर्तव्य के सामान्य आह्वान (normal call of duty) से परे किया गया हो।
- **पुरस्कार के घटक:** प्राप्तकर्ताओं को एक पदक, प्रमाण पत्र, लघु पदक (miniature medal) और ₹2 लाख का एकमुश्त नकद पुरस्कार मिलता है; यह पुरस्कार मरणोपरांत भी प्रदान किया जा सकता है।
- **चयन प्रक्रिया:** राष्ट्रपति की मंजूरी प्राप्त करने से पहले राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय मंत्रालयों की सिफारिशों की एक उच्च-स्तरीय समिति द्वारा जांच की जाती है।

# मुख्य परीक्षा

## धन विधेयक (MONEY BILL)

### संदर्भ

धन विधेयक के रूप में पारित सर्वोच्च न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) संशोधन विधेयक, 2026, मुख्य न्यायाधीश (CJI) सहित सर्वोच्च न्यायालय की स्वीकृत संख्या को 34 से 38 न्यायाधीशों तक बढ़ाने का प्रयास करता है, जबकि इसे धन विधेयक के रूप में वर्गीकृत करने से राज्यसभा की महत्वपूर्ण विधायी जांच (substantive legislative scrutiny) को सीमित करने के लिए इस मार्ग के उपयोग पर चिंताएं फिर से बढ़ गई हैं।

### धन विधेयक मार्ग ने द्विसदनवाद (bicameralism) को केवल प्रतीकात्मक भागीदारी तक कैसे सीमित/कमजोर कर दिया है?

- **असममित विधायी शक्ति (Asymmetric Legislative Power):** राज्यसभा धन विधेयक में केवल संशोधनों की सिफारिश कर सकती है, जबकि लोकसभा उन्हें स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है, जिससे उच्च सदन सह-विधायी (co-legislative) के बजाय केवल परामर्शदात्री (consultative) बन जाता है।
    - उदाहरण: लोकसभा राज्यसभा की हर सिफारिश को खारिज करने के बाद भी धन विधेयक पारित कर सकती है।
- **समयबद्ध जांच:** राज्यसभा के पास धन विधेयक पर विचार करने के लिए केवल 14 दिन होते हैं, जो सामान्य विधायी प्रक्रिया की तुलना में विचार-विमर्श को तीव्रता से बाधित करता है।
    - उदाहरण: जटिल राजकोषीय कानूनों को उच्च सदन की जांच के लिए संवैधानिक रूप से एक संक्षिप्त विंडो (समय-सीमा) मिलती है।
- **पारित होने के रूप में मौन:** यदि राज्यसभा 14 दिनों के भीतर विधेयक वापस नहीं करती है, तो इसे लोकसभा द्वारा अनुमोदित रूप में पारित माना जाता है, जिससे पूर्ण गैर-भागीदारी को भी कानूनी रूप से पारित होने के समतुल्य बना दिया जाता है।
    - उदाहरण: विधेयक को कानून बनने के लिए सरकार को राज्यसभा की मंजूरी की आवश्यकता नहीं है।
- **रणनीतिक बचाव:** धन विधेयक मार्ग राजकोषीय कानूनों के भीतर गैर-राजकोषीय सुधारों को शामिल करने के लिए एक कार्यकारी प्रोत्साहन बनाता है, विशेष रूप से तब जब सरकार के पास राज्यसभा में बहुमत नहीं होता है, जिससे उच्च सदन को दरकिनार किया जा सके।
    - उदाहरण: वित्त अधिनियम, 2017 ने भाग XIV के माध्यम से न्यायाधिकरणों (tribunals) को नियंत्रित करने वाले ढांचे को बदल दिया, जिसके धन विधेयक वर्गीकरण को बाद में रोजर मैथ्यू मामले (Rojer Mathew case) में चुनौती दी गई थी।
- **संघीय आवाज का कमजोर होना:** राज्यसभा की भूमिका को प्रतिबंधित करने से संसदीय जांच का संघीय आयाम कमजोर होता है, क्योंकि उच्च सदन संस्थागत रूप से राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है।

- उदाहरण: राज्यों के प्रतिनिधि किसी उपाय (measure) को वैध रूप से धन विधेयक के मार्ग में प्रवेश करने के बाद उसमें कोई ठोस संशोधन नहीं कर सकते हैं।

- **द्विसदनवाद द्वारपाल (Gatekeeper) के रूप में प्रमाणन:** अध्यक्ष (Speaker) का धन विधेयक प्रमाणन यह निर्धारित करता है कि कोई विधेयक सामान्य द्विसदनीय प्रक्रिया का पालन करेगा या अनुच्छेद 109 के तहत लोकसभा-प्रमुख प्रक्रिया का, जो प्रमाणन को राज्यसभा की महत्वपूर्ण विधायी शक्ति के लिए परिणामी बनाता है।
    - उदाहरण: आधार अधिनियम, 2016 (Aadhaar Act, 2016) को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित करना इस संवैधानिक चुनौती का केंद्र बन गया कि क्या इसके प्रावधान अनुच्छेद 110 के अंतर्गत आते हैं।
- **अनसुलझी न्यायिक सीमा:** धन विधेयक के स्वीकार्य दायरे को निर्धारित करने के लिए एक निश्चित न्यायिक परीक्षण (judicial test) की अनुपस्थिति यह अनसुलझा छोड़ देती है कि लोकसभा की राजकोषीय प्रधानता कब वैध रूप से राज्यसभा की महत्वपूर्ण विधायी भूमिका को विस्थापित कर सकती है।

**धन विधेयक का प्रमाणन अध्यक्ष-नेतृत्व वाले संवैधानिक सुरक्षा उपायों की सीमाओं को कैसे उजागर करता है?**

- **केंद्रित द्वारपाल (Concentrated Gatekeeping):** अध्यक्ष का प्रमाणन यह निर्धारित करता है कि राज्यसभा अपनी महत्वपूर्ण विधायी शक्ति को बरकरार रखती है या केवल एक सिफारिशी भूमिका तक सीमित हो जाती है, जो एक एकल प्रमाणन निर्णय को द्विसदनवाद के लिए परिणामी बनाता है।
    - उदाहरण: आधार अधिनियम, 2016 को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित करने से यह अनुच्छेद 109 के तहत प्रतिबंधित प्रक्रिया के अधीन हो गया।
- **सीमित संसदीय सुधार:** एक बार प्रमाणित होने के बाद, राज्यसभा के पास वर्गीकरण को पलटने के लिए कोई अंतर-संसदीय तंत्र (intra-parliamentary mechanism) नहीं होता है और वह केवल संशोधनों की सिफारिश कर सकती है, जिससे उच्च सदन की आपत्तियों के बावजूद अध्यक्ष का निर्धारण बना रहता है।
- **बचाव का प्रोत्साहन:** चूंकि राज्यसभा की आपत्तियों का उठाए जाने पर भी कोई बाध्यकारी बल (binding force) नहीं होता है, इसलिए उच्च सदन में बहुमत की कमी वाली सरकारें अनुच्छेद 110 की बाहरी सीमाओं का परीक्षण करने के लिए एक प्रोत्साहन प्राप्त करती हैं।
    - उदाहरण: वित्त अधिनियम, 2017 को धन विधेयक के रूप में अधिनियमित किया गया था, इसके बावजूद कि इसमें न्यायाधिकरणों के पुनर्गठन के प्रावधान शामिल थे, जिसने एक संवैधानिक चुनौती को जन्म दिया।
- **शाब्दिक अस्पष्टता (Textual Ambiguity):** अनुच्छेद 110 की व्यापक भाषा, विशेष रूप से अनुच्छेद 110(1) में निर्दिष्ट मामलों और उनके लिए केवल प्रासंगिक (incidental) प्रावधानों के बीच का अंतर, इस बात पर असहमति की गुंजाइश पैदा करता है कि धन विधेयक मार्ग में वैध रूप से क्या प्रवेश कर सकता है।
    - उदाहरण: रोजर मैथ्यू मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने सवाल उठाया कि क्या वित्त अधिनियम, 2017 का भाग XIV, जो न्यायाधिकरणों से संबंधित है, धन विधेयक की संवैधानिक आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है।
- **विलंबित न्यायिक सुधार:** न्यायिक समीक्षा एक बाहरी जांच प्रदान करती है, लेकिन प्रमाणन के प्रश्न को एक बड़ी पीठ (Bench) के पास भेजने का मतलब है कि संवैधानिक सीमा केवल तभी स्पष्ट की जा सकती है जब विवादित कानून पहले ही पारित हो चुका हो, जिससे सुरक्षा उपाय की समयबद्धता (timeliness) कमजोर हो जाती है।

## आगे की राह

- **अनुच्छेद 110 को संकीर्ण करना:** एक सख्त, सारवान परीक्षण (substantive test) अपनाएं जो धन विधेयकों को उन कानूनों तक सीमित करता है जिनके प्राथमिक और आवश्यक प्रावधान अनुच्छेद 110 के अंतर्गत आते हैं, जिससे प्रासंगिक (incidental) प्रावधानों को व्यापक विधायी सुधार का मार्ग बनने से रोका जा सके।
- **प्रमाणन समीक्षा को संस्थागत बनाना:** पेश किए जाने से पहले संदिग्ध धन विधेयक वर्गीकरणों को चिन्हित करने के लिए संसद के भीतर एक पूर्व-विधायी संवैधानिक जांच तंत्र स्थापित करें, जैसे नियम समिति/पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन द्वारा परीक्षण।
- **राज्यसभा की आवाज को सुदृढ़ करना:** जहां पर्याप्त गैर-राजकोषीय प्रावधान शामिल हैं, वहां वर्गीकरण के स्वतंत्र पुनर्विचार (independent reconsideration) के लिए एक तंत्र प्रदान करें ताकि राज्यसभा की महत्वपूर्ण विधायी भूमिका को केवल प्रमाणन के माध्यम से विस्थापित न किया जा सके।
- **त्वरित न्यायिक समीक्षा सुनिश्चित करना:** विवादित धन विधेयक प्रमाणन के लिए एक त्वरित संवैधानिक समीक्षा तंत्र विकसित करें ताकि न्यायालय कानून के काफी हद तक लागू होने से पहले वर्गीकरण का निर्धारण कर सकें।
- **अध्यक्ष की तटस्थता को संरक्षित करना:** यह प्रदर्शित करने वाले तर्कसंगत (reasoned) प्रमाणन की आवश्यकता वाले सम्मेलनों (conventions) को सुदृढ़ करें कि कैसे प्रत्येक सारवान प्रावधान अनुच्छेद 110 को संतुष्ट करता है, जिससे अध्यक्ष के संवैधानिक विवेक को अधिक पारदर्शी और समीक्षा-योग्य बनाया जा सके।